|| कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली (राज.) ||

क्रमांक 727 दिनांक 29.6.17
प्रेषितः–

1. समस्त वृताधिकारी
   जिला पाली
2. समस्त थानाधिकारी
   जिला पाली

विषयः– जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था)सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति एवं राज. जयपुर के पत्र क्रमांक –व–15( ) पुलिस–प्रशासन/2016/147 दिनांक 08.02.17 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में लेख है कि संयुक्त शासन सचिव,गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला पाली हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया जाकर निम्न को समिति का अध्यक्ष, सदस्य व सचिव 02 वर्ष के लिये चयनित किये गये है। समिति द्वारा प्रतिमाह एक बार मिटींग आयोजित की जायेगी।

1. श्री सुरेन्द्र पारख सी.ए. C/O डॉ. के.एल. पारख नियर मेंवाडा मेडीकल स्टोर, A 25 यू.डी. नगर पाली – अध्यक्ष मोबाईल नम्बर 98298–20110
2. डॉ. प्रीति चौधरी ग्लोबल डेंटल क्लिनिक, पुराना बस स्टेण्ड के पास तखतगढ– सदस्य मोबाईल नम्बर 88757–72424
3. श्री लूणाराम रेगर, रेगरों का मोहल्ला, रास जिला पाली – सदस्य मोबाईल नम्बर 94138–42909
4. श्री कमलजी श्रीमाली अधिवक्ता बाली जिला पाली – सदस्य मोबाईल नम्बर 98291–05535
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), पाली – सदस्य सचिव 02932–251533, 9530419770

समिति का कार्य राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस कार्मिको के विरूद्व घोर अवचार (Serious Misconduct) की शिकायतों पर जांच करना व अपनी सिफारशे सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी भेजना इत्यादि है।

पाली जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति की आगामी मिटींग दिनांक 04.07.17 को 11 एएम पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली में रखी गई है।

आप उक्त समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर अपने वृत कार्यालय/थाने/चौकी/उपखण्ड कार्यालयों के बाहर चस्पा करवायें एवं समिति के अध्यक्ष व सदस्यों एवं उनके कार्यो के बारे मे अपने अपने हल्का क्षैत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें एवं पुलिस कार्मिको के विरूद्व घोर अवचार (Serious Misconduct) की शिकायते प्राप्त होने पर अविलम्ब इस कार्यालय में प्रेषित की जावें।

(ज्योति स्वरूप शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
पाली

प्रतिलिपिः–(i) श्रीमान पुलिस अधीक्षक पाली को सूचनार्थ प्रेषित है।
(ii) अति. पुलिस अधीक्षक, बाली को सूचनार्थ।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
पाली

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(9)गृह–1/2011–पार्ट **जयपुर, दिनांक 19.12.2016**

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला पाली हेतु **जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1– श्री सुरेन्द्र पारख, सीए, 98298–20110 अध्यक्ष
जिला–पाली।

2– डॉ0 प्रीति चौधरी, 88757–72424 सदस्य
ग्लोबल डेन्टल क्लिनिक, पुराने बस स्टेण्ड के पास,
तखतगढ, जिला–पाली।

3– श्री लूणाराम रेगर, 94138–42909 सदस्य
रेगरों का मोहल्ला, रास, जिला–पाली।

4– श्री कमल जी श्रीमाली, अधिवक्ता, 98291–05535 सदस्य
बाली, जिला–पाली।

5– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), 02932–251533 सदस्य–सचिव
पाली। 9530419770

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)गृह–1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2– विशिष्ठ सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3– वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5– महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6– जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली।
7– पुलिस अधीक्षक, पाली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
8– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
9– सम्बन्धित।
10– रक्षित पत्रावली।

2837
23/12/2016

19/12/2016
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

अध्याय 9

पुलिस की जवाबदेही

62. पुलिस की जवाबदेही.— (1) राज्य सरकार, यथासंभव शीघ्र एक राज्य पुलिस जवाबदेही समिति (जिसे इसमें इसके आगे "राज्य समिति" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए जिला जवाबदेही समिति (जिसे इसमें इसके आगे "जिला समिति" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) स्थापित करेगी।

(2) इस धारा के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसे पारिश्रमिक और जेब से किये गये व्यय का संदाय किया जा सकेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें।

63. राज्य समिति.— (1) राज्य समिति में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे:—

(क) लोक संव्यवहार में अनुभव रखने वाले सुविख्यात और एकता में विश्वसनीय अभिलेख और स्वतंत्र सदस्यों के रूप में मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले चार व्यक्ति:
परन्तु एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्ग से और एक महिलाओं में से होगा।

(ख) अपर पुलिस महानिदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी उसके सदस्य-सचिव के रूप में होगा;

(ग) राज्य सरकार स्वतंत्र सदस्यों में से किसी एक को राज्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) राज्य समिति को ऐसी सचिवीय सहायता उपलब्ध करवायी जा सकेगी जो कि राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

64. राज्य समिति के कृत्य.— राज्य समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) पर्यवेक्षण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध "घोर अवचार" के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या जिला समिति से प्राप्त किसी शिकायत पर, जांच करना;

(ख) ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें; या

(ग) जहां कहीं भी अपेक्षित हो, उसके द्वारा जांच किये गये किसी मामले में राज्य सरकार को सिफारिशें करना।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए "घोर अवचार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(I) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लोप या करण का ऐसा कोई अमद्भाविक कार्य जो-

(i) घोर अपहति,

(ii) अवैधनिरोध, या

(iii) ऐसे किसी भी अपराध, जिसके लिए विधि में विहित अधिकतम दण्ड दस वर्ष या उससे अधिक है-

में परिणत होता है या उसकी कोटि में आता है; या

(II) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उद्दापन।

65. राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की शक्तियां.— राज्य पुलिस जवाबदेही समिति को इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी न्यायालय को वाद का विचारण करते समय होती है, अर्थात्-

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के पेश किये जाने के लिए बाध्य करना; और

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

और समिति के समक्ष की कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193, 196 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

66. जिला समिति.— जिला समिति में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे-

(क) लोक संव्यवहार में अनुभव रखने वाले सुविख्यात और एकता में विश्वसनीय अभिलेख और स्वतंत्र सदस्यों के रूप में मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले चार व्यक्ति:

परन्तु एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्ग से और एक महिलाओं में से होगा।

(ख) अपर पुलिस अधीक्षक की पंक्ति का एक अधिकारी इसके सदस्य-सचिव के रूप में होगा;

(ग) राज्य सरकार, स्वतंत्र सदस्यों में से किसी एक को जिल समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

67. जिला समिति के कृत्य.— जिला समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी:—

(क) अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस कार्मिक के विरुद्ध "घोर अवचार" के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत पर जांच करना और अपनी सिफारिशें सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजना:

परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी, समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर विनिश्चय करेगा और विनिश्चय की प्रति समिति को भी सूचना के लिए भेजेगा;

(ख) अधीनस्थ पंक्तियों के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांचों को मॉनिटर करना; या

(ग) पर्यवेक्षण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त की गयी शिकायतों और ऐसे अन्य मामलों, जिन्हें वह ठीक समझे, को राज्य समिति को निर्दिष्ट करना।

68. समितियों के स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि.— (1) राज्य समिति या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी और कोई भी स्वतंत्र सदस्य उसकी समिति में दूसरी अवधि के लिए नामनिर्देशित नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य समिति या जिला समिति के किसी भी स्वतंत्र सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह धारा 69 में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता उपगत कर लेता है या वह स्वतंत्र सदस्य के रूप में उस पर व्यादिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है।

69. स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए निरर्हता.— कोई व्यक्ति, राज्य समिति के या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने का पात्र नहीं होगा यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, या जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के आरोप विरचित किये हैं;

(ग) किसी भी लोक सेवा से पदच्युत, हटाया या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है;

(घ) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है;

(ङ) विकृत चित्त है; या

(च) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल या स्थानीय निकाय का सदस्य है या रहा है या किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से संसक्त किसी संगठन का पदाधिकारी है या रहा है या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध किसी संगठन का सदस्य है या रहा है।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

70. कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां.— (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस के साथ जिला प्रशासन की अन्य एजेन्सियों के कृत्यकरण का निम्नलिखित से संबंधित मामलों के संबंध में समन्वय करना विधिपूर्ण होगा:-

(क) जिले में लोक शांति और प्रशांति में विघ्न;

(ख) भूमि विवादों का निपटारा;

(ग) किसी भी लोक निकाय के निर्वाचनों का संचालन;

(घ) प्राकृतिक आपदाओं से निपटना और उसके द्वारा प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना;